#### नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 1994

संख्या पी0 सी0— 94/815— पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निम्न अनुसूचि में विनिदिंष्ट और इसके संलग्न नक्शे में दिखाए गये अनुसार गांव नौरंगपुर, तहसील और जिला गुड़गांव के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात:—

अनुसूची

गांव नौरंगपुर, तहसील और जिला गुड़गांव राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस-पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा अनुसूची को ड्राईंग संख्या डीoटीoपीo (जी) 445/93 दिनांक 25 जुलाई, 1993 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर: बिन्दु 'क' से शुरू करके अर्थात् गांव मानेसर की आयत संख्या 50 का उत्तर पश्चिमी कोना और जहां 28 जनवरी, 1991 को प्रकाशित हरियाणा सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या जे0डी0—91/725, दिनांक 22 जनवरी , 1991 द्वारा गांव नौरंगपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस—पास के पहले ही नियन्त्रित क्षेत्र घोषित की सीमा मिलती है इसके बाद दक्षिण—पूर्व की ओर उक्त नियन्त्रित क्षेत्र सीमा के साथ—2 बिन्दु 'ख' तक जहां यह गांव मानेसर की पूर्वी सीमा से मिलती है।

पूर्वी: इसके बाद दक्षिण-पश्चिम की ओर गांव मानेसर की पूर्वी सीमा के साथ-2 बिन्दु 'ग' तक जहां यह गांव मानेसर की आयत संख्या 131 की दक्षिणी सीमा से मिलती है।

दक्षिण: इसके बाद पश्चिम की ओर गांव मानेसर की आयत संख्या 131,130 और 129 की दक्षिणी सीमा के साथ—2 इसके बाद उत्तर की ओर आयत संख्या 129 की पश्चिमी सीमा के साथ—2 इसके बाद पश्चिम की ओर गांव मानेसर की आयत संख्या 106 और 107 को दक्षिण सीमा के साथ—2 बिन्दु 'ध' तक जो कि गांव मानेसर की आयत संख्या 107 का दक्षिण—पश्चिमी कोना है, जहां यह 28 जनवरी, 1991 को प्रकाशित हरियाणा राजपत्र अधिसूचना संख्या जे0डी0—91 / 750, दिनांक 22 जनवरी, 1991 द्वारा राजकीय उच्च विद्यालय मानेसर के आस—पास पहले ही नियन्त्रित क्षेत्र घोषित सीमा से मिलती है।

पश्चिमः इसके बाद, उत्तर की ओर 28 जनवरी, 1991 को प्रकाशित हरियाणा राजपत्र अधिसूचना संख्या जे0डी० / 91 / 750, दिनांक 22 जनवरी, 1991 द्वारा राजकीय उच्च विद्यालय, गांव मानेसर के आस—पास के पहले ही घोषित नियन्त्रित क्षेत्र के साथ—2 बिन्दु 'क' तक अर्थात प्रारम्भिक बिन्दु।

**प्रदीप कुमार,** आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

218

# HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN.31, 1994 (MAGHA 11, 1915 SAKA)

# TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT Notification

The 25th January, 1994

No. PC-94/815- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf , the Governor of Haryana hereby declares the area around Government Primary School of village Naurangpur, tehsil and district Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

## **SCHEDULE**

Schedule of boundaries of controlled area around Government Primary School at village Naurangpur, tehsil and district Gurgaon to be read with Drg. No. DTP(G) 445/93, dated 19th July, 1993.

**North:** Starting from point 'A' i.e. the north-west corner of Rect. No. 50 of village Manesar and meeting point of controlled area already declared around Government Primary School of village Naurangpur,-vide Haryana Government Gazette Notification No. JD-91/725, dated 22nd January, 1991 published on 28th January, 1991, thence towards south-east along the said controlled area boundary upto point 'B' where it meets with the eastern boundary of village Manesar.

**East:** Thence towards south-west along the eastern boundary of village Manesar upto point 'C' where it meets with the southern boundary of Rect. No. 131 of village Manesar.

**South:** Thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 131, 130 and 129 of village Manesar, thence towards north along the western boundary of Rect. No. 129, thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 106 and 107 of village Manesar upto the point 'D' which is the southwest corner of Rect. No. 107 of village, Manesar where it meets the controlled area boundary already declared around Government High School, Manesar, vide Haryana Government Gazette Notification No. JD-91/750, dated 22nd January, 1991 published on 28th January, 1991.

**West:** Thence towards north along the controlled area already declared around Government High School of village Manesar,-vide Haryana Government Gazette Notification No. JD-91/750, dated 22nd January, 1991 published on 28th January, 1991 upto point 'A' i.e. the point of start.

### PRADEEP KUMAR

Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department